इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४६]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २९ जनवरी २०२१-माघ ९, शक १९४२

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2021

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-1201 1/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत भोपाल जिले के बैरिसिया जनपद के गुनगा संकुल की 13 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार गुनगा संकुल के 13 ग्राम पंचायतों के 110.78 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नान्सार है:

जिला

भोपाल

जनपद

बेरसिया

संकुल

– गुनगा

क्षेत्रफल

कं.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1	*.	गुनगा	गुनगा	11.22
2		मनिखेड़ी	मनिखेड़ी	6.83
3		इजगिरी	इजगिरी	5/67
4		करोंदिया	करोंदिया	5.81
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	दिल्लोद	दिल्लोद	10.19
6		कलारा	कलारा	13.74
7		जूनापानी	जूनापानी	5.00
5		माहोली	मासंस्कृ	

9		पीपलखेडा	पीपलखेडा	5.90
10	गुनगा संकुल,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	कुटकीपुरा	3.47
1.1	बेरसिया जनपद	कुटकीपुरा	नमदारपुर	2.87
12			खेड़ी	2.22
13		रोंदिया	रोंदिया	6.12
14			जाफराबाद	3.57
15			जेतपुरा	2.97
16		जेतपुरा	्रमुढ़ियाखेड़ा	1.68
17		બલવુલ	चाँदबड खादिम	3.62
18			खादमपुर	6.00
19		उनीदा	<u> जनीदा</u>	3.79
20			भुनग्याई	4.35
! :	<u> </u>	13	20	. 410.78

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम जूनापानी एवं ग्राम माहोली की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम माहोली की पश्चिमी—उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रोंदिया की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम इजिंगरी की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम दिल्लोद की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम दिल्लोद एवं ग्राम खादमपुर की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 2. पूर्व ग्राम दिल्लोद एवं ग्राम खादमपुर की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम खादमपुर की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम चाँदबड खादिम की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम जेतपुरा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम जेतपुरा एवं ग्राम मुढ़ियाखेड़ा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- उ. दक्षिण ग्राम जेतपुरा एवं ग्राम मुढ़ियाखेड़ा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम मुढ़ियाखेड़ा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम गुनगा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम करोंदिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम कुटकीपुरा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम भुनग्याई की दिक्षणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम भुनग्याई एवं ग्राम उनीदा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम भुनग्याई एवं ग्राम उनीदा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम उनीदा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम कलारा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम जूनापानी की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम जूनापानी एवं ग्राम माहोली की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :--

(अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता का विवास की विकास कराक हम संकुला का विवास किया जावेगा।

(ब) गुनगा संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गैर जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ (अधिकतम) गैर जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना गुनगा संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूबन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, भोपाल जिले के गुनगा संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Gunga cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Berasia Block of Bhopal district, consisiting of 13 Gram Panchayat covering an area of 110.78 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District: Bhopal Janpad: Berasia Cluster: Gunga

Area: 110.78 Sq. Km (11078 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Gunga	Gunga	11.22
2		Manikhedi	Manikhedi	6.88
3		Ijagiri	Ijagiri	6.67
4		Karondiya	Karondiya	5.81
5	,	Dillod	Dillod	10.19
6		Kalara 1	Kalara	13.74
7		Junapani	Junapani	5.09
8		Maholi	Maholi	4.62
9	0 01	Pipalkheda	Pipalkheda	5.90
10	Gunga Cluster,	Kutkipura	Kutkipura	3.47
11	Berasia Janpad		Namdarpur	2.87
12			Khedi	2.22
13		Rondia	Rondia	6.12
14			Jafrabad	3.57
15		Jetpura	Jetpura	2.97
16			Mudia Kheda	1.68
17	•		Chandbad Khadim	3.62
18			Khadampur	6.00
19		Uneeda	Uneeda	3.79
20			Bhungiyai	4.35
	Total	13	20	110.78

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the Northern junction point of Village Junapani and Village Maholi going through the Western-Northern-Eastern boundaries of Village Maholi to the Northern boundary of Village Rondia to the Northen boundary of Village Ijagiri to the Northern-Eastern boundaries of Village Dillod till the Eastern junction point of Village Dillod and Village Khadampur.
- 2. East From the Eastern junction point of Village Dillod and Village Khadampur going through the Eastern boundary of Village Khadampur to the Eastern boundary of Village Chandbad Khadim to the Eastern boundary of Village Jaitpura till the Eastern junction point of Village Jaitpura and Village Mudia Kheda.
- 3. South From the Eastern junction point of Village Jaitpura and Village Mudia Kheda going through the Southern boundary of Village Mudia Kheda to the Southern boundary of Village Gunga to the Southern boundary of Village Karondiya to the Southern boundary of Village Kutkipura to the Southern-Western boundaries of Village Bhungiyai till the Western junction point of Village Bhungiyai and Village Uneeda.
- 4. West From the Western junction point of Village Bhungiyai and Village Uneeda going through the Western boundary of Village Kalara to the Western-Northern boundaries of Village Junapani till the Northern junction point of Village Junapani and Village Maholi.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherii Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Gunga cluster has been chosen as a non-tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 30 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to non-tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Gunga cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Gunga cluster of Bhopal district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत इन्दौर जिले के इन्दौर जनपद के नावदा पंथ संकुल की 02 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नावदा पंथ संकुल के 02 ग्राम पंचायतो के 9.96 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – इन्दौर जनपद – इन्दौर संकुल – नावदा पंथ क्षेत्रफल – 9.96 वर्ग कि.मी. (996 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	नावदा पंथ	कलारिया	धरनावद	3.61
2	संकुल,	नरलाय	नरलाय	3.92
3	इन्दौर जनपद	नरलाय	मोकलाई	2.43
•	कुल योग	02	03	9.96

नावदापंथ निवेश क्षेत्र 1 की सीमाओं का विवरण

- उत्तर ग्राम धरनावद की उत्तरी दीना।
- 2. पूर्व ग्राम धरनावद की पूर्वी सीमा।
- दक्षिण ग्राम धरनावद की दक्षिणी सीामा।
- पश्चिम ग्राम धरनावद की पश्चिमी सीमा।

नावदापंथ निवेश क्षेत्र 2 की सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम नरलाय की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम मोकलाई की उत्तरी सीमा तक।
- 2. पूर्व ग्राम मोकलाई की पूर्वी सीमा।
- 3. दक्षिण ग्राम मोकलाई की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम नरलाय की दक्षिणी सीमा तक !
- 4. **पश्चिम** ग्राम मोकलाई की पश्चिमी सीमा।

नावदापंथ संकुल के ग्राम बिसनावदा, सिंहासा, सिन्दोडा, सिन्दोडी, कलारिया, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली एवं रंगवासा (कुल क्षेत्र फल 46.1 वर्ग कि.मी.) है को इंदौर विकास योजना 2021 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) नावदा पंथ संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गैर जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल को कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ (अधिकतम) गैर जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना नावदा पंथ संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलत किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, इन्दौर जिले के नावदा पंथ संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Nawda Panth cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Indore Block of Indore district, consisting of 02 Gram Panchayat covering an area of 9.96 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Indore

Janpad:

Indore

Cluster:

Nawda Panth

Area:

9.963Sq. Km (996 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	Nawda Panth	Kalaria	Dharnawad	3.61
2	Cluster,	., .	Narlai	3.92
3	Indore Janpad	Narlai	Mokklai	2.43
	Total	02	03	9.96

- 1. North Northern boundary of Village Dharnawad.
- 2. East Eastern boundary of Village Dharnawad.
- 3. South Southern boundary of Village Dharnawad.
- 4. West Western boundary of Village Dharnawad.

Description of the Nawda Panth Planning Area 2 Boundaries

- 1. North From the Northern-Eastern boundary of Village Narlai to the Northern boundary of Village Mokklai.
- 2. East Eastern boundary of Village Mokklai.
- 3. South From the Southern boundary of Village Mokklai to the Southern boundary of Village Narlai.
- 4. West Western boundary of Village Mokklai.

Village Bisanawada, Sinhasa, Sindoda, Sindodi, Kalaria, Nawda Panth, Shriram Talawali and Rangwasa (total area 46.10 Sq. Km) of Nawda Panth cluster have already been notified under the Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 in Indore Development Plan 2021.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to economically, socially and physically sustainable space. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger all over development in the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and develop a cluster as growth centers.
- 2. Nawda Panth cluster has been chosen as a non-tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 30 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to non-tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Nawda Panth cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Nawda Panth cluster of Indore district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत इन्दौर जिले के महू जनपद के सिमरोल संकुल की 05 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सिमरोल संकुल के 05 ग्राम पंचायतो के 87.62 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – इन्दौर जनपद – महू संकुल – सिमरोल क्षेत्रफल – 87.62 वर्ग कि.मी. (8762 हेक्टेयर)

큙.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1		सिमरोल	सिमरोल	18.46
2		मेंमदी _	मेंमदी	3.25
3		दतोदा	दतोदा	31.16
4		शिवनगर	शिवनगर	6.37
5	सिमरोल संकुल,		गोकन्या	5.87
6	महू जनपद		बरदरी	1.41
7	1		पिपल्या लौहार	4.66
8	-	घोसीखेडा	घोसीखंडा	5.35
9			पठान पिपल्या	2.25
10			चिखली	8.84
	कुल योग	05	10	87.62

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम शिवनगर एवं ग्राम पिपल्या लौहार की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम पिपल्या लौहार की पश्चिमी—उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम शिवनगर की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम घोसीखेडा की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम पठान पिपल्या की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम पठान पिपल्या एवं ग्राम चिखली की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 2. पूर्व ग्राम पठान पिपल्या एवं ग्राम चिखली की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम चिखली की उत्तरी—पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम घोसीखेडा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम घोसीखेडा एवं ग्राम सिमरोल की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

- 3. दक्षिण ग्राम घोसीखेडा एवं ग्राम सिमरोल की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम सिमरोल की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम मेंमदी की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम मेंमदी एवं ग्राम दतोदा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम मेंमदी एवं ग्राम दतोदा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम दतोदा की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम शिवनगर की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम शिवनगर एवं ग्राम पिपल्या लौहार की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) सिमरोल संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गैर जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ (अधिकतम) गैर जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना सिमरोल संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, इन्दौर जिले के सिमरोल संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7–छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Simrol cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Mhow Block of Indore district, consisiting of 05 Gram Panchayat covering an area of 87.62 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Indore

Janpad:

Mhow

Cluster:

Simrol

Area:

87.62 Sq. Km (8762 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Simrol	Simrol	18.46
2		Memdi	Memdi	3.25
3		Datoda	Datoda	31.16
4		Shivnagar	Shivnagar	6.37
5	Simrol Cluster,		Gokanya	5.87
6	Mhow Janpad		Bardari	1,4]
7			Pipalya Lohar	4.66
8		Gosi Kheda	Gosi Kheda	5.35
9			Pathan Pipalya	2.25
10			Chikhli	8.84
	Total	05	10	87.62

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the Western junction point of Village Shivnagar and Village Pipalya Lohar going through the Western-Northern-Eastern boundaries of Village Pipalya Lohar to the Northern-Eastern boundaries of Village Shivnagar to the Eastern boundary of Village Gokanya to the Northern boundary of Village Gosi Kheda to the Northern-Eastern boundaries of Village Pathan Pipalya till the Northern junction point of Village Pathan Pipalya and Village Chikhli.
- 2. East From the Northern junction point of Village Pathan Pipalya and Village Chikhli going through the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Chikhli to the Southern -boundary of Village Gosi Kheda till the Eastern junction point of Village Gosi Kheda and Village Simrol.

- 3. South From the Eastern junction point of Village Gosi Kheda and Village Simrol going through the Southern boundaries of Village Simrol to the Southern-Western boundaries of Village Memdi till the Western junction point of Village Memdi and Village Datoda.
- 4. West From the Western junction point of Village Memdi and Village Datoda going through the Western-Northern boundaries of Village Datoda to the Northern boundary of Village Shivnagar till the Western junction point of Village Shivnagar and Village Pipalya Lohar.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Simrol cluster has been chosen as a non-tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 30 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to non-tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Simrol cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Simrol cluster of Indore district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत छतरपुर जिले के छतरपुर जनपद के अच्ह संकुल की 12 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अच्ह संकुल के 12 ग्राम पंचायतो के 131.22 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – छतरपुर जनपद – छतरपुर संकुल – अचह

क्षेत्रफल – 131.22 वर्ग कि.मी. (13122 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1		अचट्ट	अचट्ट	9.46
2		कूंड	कूंड	4.93
3			भ्रांटा	0.75
4			टपरियन	2.94
5		सुकवां	सुकवां	16.58
6		कीरतपुरा -	कीरतपुरा	5.73
7			नदनपुर	3.85
8		राजेगा		16.3.
9	अचट्ट संकुल,	बरा	बरा	7.84
10	छतरपुर जनपद	नंदगायकलां	ादगायकलां ।	13.56
11		गोरा	गोरा	4.96
12		महेबा	महेबा	12.60
13		परापट्टी	आमखेरा	6.56
14		बंदीकलां	बंदीकलां	13.22
15	·		चन्द्रपुरा	1.72
16		बोड़ा	बोड़ा	3.77
17	:		दऊवन का पुरवा	2.19
18			बंधिखुर्द	1.64
	कुल योग	12	18	131.22

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

1. उत्तर — ग्राम टपरियन एवं ग्राम कूंड की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कूंड की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम सुकवां की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम बरा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम नंदगायकलां की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम गोरा की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम महेबा की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम महेबा एवं ग्राम गोरा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

2. पूर्व — ग्राम महेबा एवं ग्राम गोरा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्द से ग्राम गोरा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम नंदगायकलां की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम चन्द्रपुरा की पूर्वी सीमा

होते हुए ग्राम चन्द्रपुरा एवं ग्राम बंदीकलां की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

3. दक्षिण — ग्राम चन्द्रपुरा एवं ग्राम बंदीकलां की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बंदीकलां की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम बोड़ा की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बोड़ा एवं ग्राम दऊवन का पुरवा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

4. पश्चिम — ग्राम बोंडा एवं ग्राम दऊवन का पुरवा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम दऊवन का पुरवा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम सलैया की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम अच्छ की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम टपरियन की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम टपरियन एवं ग्राम कुंड की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार

प्रावधान किया गया है :--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) अच्रह संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गैर जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ (अधिकतम) गैर जनजातीय क्षेत्र को परक वित्तपोषण राशि (क्रिटिना कि एकेंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत बलस्टर काय योजना अच्रह संकुल कि विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, छतरपुर जिले के अचह संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Achatt cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Chhatarpur Block of Chhatarpur district, consisiting of 12 Gram Panchayat covering an area of 131.22 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and villagewise area of the identified cluster are as follow:

District: Chhatarpur Janpad:

Chhatarpur

Cluster:

Achatt

Area:

131.22 Sq. Km (13122 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Achatt	Achatt	9.46
2			Kood	4.92
3		Kood	Bhirata	0.75
4			Tapariya	2.94
5		Sukwan	Sukwan	16.58
6	•	Kiratpura	Kiratpura	5,73
7			Nadanpur	4
8	Achatt Cluster,	Salaiya	Salaiya	18.92
9	Chhatarpur Janpad	Bara	Bara	2.84
10		Nandgaikala	Nandgaikala	13.56
11		Gora	Gora	4.96
12		Maheba	Maheba	12.60
13		Parapatti	Amkhera	6.56
14		Bandhi Kalan	Bandhi Kalan	13.22
15			Chandpura	1.72
16		Boda	Boda	3.77
17			Dauwan Ka Purwa	2.19
18			Bandhikhurd	1.64
	Total	12	18	131.22

Description of the Planning Area Boundaries

1. North - From the Western junction point of Village Tapariya and Village Kood going through the Western- Northern boundaries of Village Koond to the Northern-Eastern boundaries of Village Sukwan to the Eastern boundary of Village Bara to the Northern

boundary of Village Nandgaikala to the Western-Northern boundaries of Village Gora to the Northern-Eastern boundaries of Village Maheba till the Southern junction point of Village Maheba and Village Gora.

- 2. East From the Southern junction point of Village Maheba and Village Gora going through the Eastern boundary of Village Gora to the Eastern-Southern boundaries of Village Nandgaikala to the Eastern boundary of Village Chandpura till the Southern junction point of Village Chandpura and Village Bandhikala.
- 3. South From the Southern junction point of Village Chandpura and Village Bandhikala going through the Eastern-Southern boundaries of Village Bandhikala to the Southern-Western boundaries of Village Boda till the Western junction point of Village Boda and Village Dauwan Ka Purwa.
- 4. West From the Western junction point of Village Boda and Village Dauwan Ka Purwa going through the Western boundary of Village Dauwan Ka Purwa to the Western boundary of Village Salaiya to the Western boundary of Village Achatt to the Western boundary of Village Tapariya till the Western junction point of Village Tapariya and Village Kood.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Achatt cluster has been chosen as a non-tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 30 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to non-tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Achatt cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Achatt cluster of Chhatarpur district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत सिवनी जिले के सिवनी जनपद के कान्हीवाड़ा संकुल की 07 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कान्हीवाड़ा संकुल के 07 ग्राम पंचायतो के 49.90 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला — सिवनी जनपद — सिवनी संकुल — कान्हीवाड़ा

क्षेत्रफल - 49.90 वर्ग कि.मी. (4990 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	1-140 41 111	कान्हीवाड़ा	कान्हीवाड़ा	10.14
2		कामता	कामता	7.28
3			रमपुरी	4.56
4		बम्हनी	बम्हनी	5.09
5		जोरावारी	, जोरावारी	2.34
6	कान्हीवाड़ा		जटलापुर	3.78
7	संकुल, सिवनी जनपद		मलांजपुर	2.35
8	7(14) 51 14	भोमटोला	भोमटोला	2.61
9			पिण्डरई	2.85
10		कन्हानपिपरिया	कन्हानपिपरिया	2.84
_ 11			पद्दिकोना	3.34
12		मुंडरईर्खुद	मुंडरईर्खुद	2.72
	कुल योग	7	12	49.90

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम जटलापुर एवं ग्राम बम्हनी की सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बम्हनी की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कान्हीवाड़ा की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कान्हीवाड़ा एवं ग्राम कामता की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 2. पूर्व ग्राम कान्हीवाड़ा एवं ग्राम कामता की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कामता की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रमपुरी की पूर्वी—दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम रमपुरी की उत्तरी सीमा एवं ग्राम कामता के मिलान बिन्दु तक।

- दक्षिण ग्राम रमपुरी की उत्तरी सीमा एवं ग्राम कामता के मिलान बिन्दु से ग्राम कामता की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम जोरावरी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम भोमटोला की पूर्वी—दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम कन्हानिपपरिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम कन्हानिपपरिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम कन्हानिपपरिया एवं ग्राम पदिकोना की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम कन्हानिपपिरया एवं ग्राम पिदकोना की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम पिदकोना की दिक्षणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम मुंडरईर्खुद की दिक्षणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम जटलापुर की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम जटलापुर एवं ग्राम बम्हनी की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) कान्हीवाड़ा संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना कान्हीवाड़ा संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7–छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Kanhiwada cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Seoni Block of Seoni district, consisiting of 07 Gram Panchayat covering an area of 49.90 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Seoni

Janpad:

Seoni

Cluster:

Kanhiwada

Area:

49.90 Sq. Km (4990 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Kanhiwada	Kanhiwada	10.14
2		77	Kamta	7.28
3		Kamta	Rampuri	4.56
4		Bamhani	Bamhani	5.09
5		Jorawari	Jorawari	2.34
6	Kanhiwada Cluster,		Jatalapur	3.78
7	Seoni Janpad		Malanjpura	2.35
8		Bhomatola	Bhomatola	2.61
9			Pindrai	2.85
10		Kanhanpipariya	Kanhanpipariya	2.84
11			Paddikona	3.34
12		Mundraikhurd	Mundraikhurd	2.72
	Total	7	12	49.90

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the Northern junction point of Village Jatalapur and Village Bamhani going through the Northern boundary of Village Bamhani to the Northern-Eastern boundaries of Village Kanhiwada till the Eastern junction point of Village Kanhiwada and Village Kamta.
- 2. East From the Eastern junction point of Village Kanhiwada and Village Kamta going through the Eastern boundary of Village Kamta to the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Rampuri till the Northern junction point of Village Rampuri and Village Kamta.

- 3. South From the Northern junction point of Village Rampuri and Village Kamta going through the Southern boundary of Village Kamta to the Southern boundary of Village Jorawari to the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Bhomatola to the Southern boundary of Village Kanhanpipariya till the Southern junction point of Village Kanhanpipariya and Village Paddikona.
- 4. West From the Southern junction point of Village Kanhanpipariya and Village Paddikona going through the Southern-Western-Northern boundaries of Village Paddikona to the Southern-Western-Northern boundaries of Village Mundraikhurd to the Northern boundary of Village Jatalapur till the Northern junction point of Village Jatalapur and Village Bamhani.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Kanhiwada cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Kanhiwada cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Kanhiwada cluster of Seoni district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत ग्वालियर जिले के डबरा जनपद के छीमक संकुल की 14 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7–छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार छीमक संकुल के 14 ग्राम पंचायतो के 105.46 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है

जिला – ग्वालियर जनपद – डबरा संकुल – छीमक क्षेत्रफल – 105.46 वर्ग कि.मी. (10546 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल
	पंचायत का नाम	4.		(वर्ग कि.मी.)
1		छीमक	छीमक	7.55
2		छोटी अकबई	छोटी अकबई	4.77
3			सुनवई	2.25
4	1:	•	ठेठीयापुरा	2.27
5		रजियावर	गुलिहाई	4.44
6		·	लीटापुरा	3.08
7			रजियावर	4.26
8		चौमो	चौमा	4.63
9			खेड़ी पाराशर	3.78
10			रामपुरा	1.58
11	छीमक संकुल,	मिलघन	मिलघन	4.95
12	डबरा जनपद		लिधोरा	4.67
13		खड़बई	खड़बई	6.51
14			खजुरिहाई	3.66
15		कोसा	कोसा	3.08
16			सिंहपुर	1.06
17		महाराजपुर	महाराजपुर	5.30
18		सिरसा	सिरसा	3.41
19			सेकरा	3.60
20			सिरोल	2.14
21		गोबरा	गोबरा	2.34
22			सैंतोल	3.76

23		खेडीरायमल	खेडीरायमल	3.82
24		चितावनी	चितावनी	9.11
25		देवरा	देवरा	2.24
26			. जावल	2.30
27		• सर्वा	सर्वा	3.69
28			समचौली	1.57
	कुल योग	14	28	105.46

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम चौमो एवं ग्राम रामपुरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम रामपुरा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम खेड़ी पाराशर की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम खजुरिहाई की उत्तरी—पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खड़बई की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम महाराजपुर की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम महाराजपुर एवं ग्राम चितावनी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 2. पूर्व ग्राम महाराजपुर एवं ग्राम चितावनी की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम चितावनी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम मिलघन की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम मिलघन एवं ग्राम लिधोरा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 3. दक्षिण ग्राम मिलघन एवं ग्राम लिधोरा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम लिधोरा की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम सर्वा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम समचौली की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम सर्वा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम सिंहपुर की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम देवरा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खेडीरायमल की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम सेकरा की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम सेकरा एवं ग्राम सिरसा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम सेकरा एवं ग्राम सिरसा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम सिरसा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम छीमक की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम छीमक की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम छीटी अकबई की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम चौमा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम चौमा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम चौमा एवं ग्राम रामपुरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) छीमक संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गैर जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ (अधिकतम) गैर जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना छीमा संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलत किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, ग्वालियर जिले के छीमक संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Chhimak cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Dabra Block of Gwalior district, consisiting of 14 Gram Panchayat covering an area of 105.46 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Gwalior

Janpad: Cluster:

Dabra Chhimak

Area:

105.46 Sq. Km (10546 Hectare)

S-No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Chhimak	Chhimak	7.55
2		,	Choti Akbai	4.77
3		Choti Akbai	Sunwai	2.25
4			Thethiyapura	2.27
5		Rajiyawar	Gulihai	4.44
6			Litapura	3.08
$\frac{3}{7}$			Rajiyawar	4.26
8		Chomo	Chomo	4.63
9			Khedi Parasar	3.78
10			Rampura	1.58
11	•	Milghan	Milghan	4.95
12	Chhimak Cluster,		Lidhora	4.67
13	Dabra Janpad	Khadwai	Khadwai	6.51
14			Khajurahai	3.60
15		Kosha	Kosha	3.08
16			Shinghpur	1.06
$\frac{17}{17}$		Maharajpur	Maharajpur	5.00
18		Sirsa	Sirsa	3.41
$\frac{10}{19}$			Sekra	3.60
20			Sirol	2.14
$\frac{20}{21}$		Gobra	Gobra	2.34
22			Sehtol	3.76
23	-	Khedi Raimal	Khedi Raimal	3.82
24	į	Chitawani	Chitawani	9.11
25		Deora	Deora	2.24
$\frac{25}{26}$		ĺ	Jawal	2.30
27	1	Sarwa	Sarwa	3.69
28	-	1	Samchauli	1.57
	Total	14	28	105.46

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the Western junction point of Village Chomo and Village Rampura going through the Western boundary of Village Rampura to the Western-Northern boundaries of Village Khedi Parasar to the Northen-Eastern-Southern boundaries of Village Khajurahai to the Eastern boundary of Village Khadwai to the Northern-Eastern boundaries of Village Maharajpur till the Eastern junction point of Village Mahrajpur and Village Chitawani.
- 2. East From the Eastern junction point of Village Mahrajpur and Village Chitawani going through the Eastern boundary of Village Chitawani to the Eastern boundary of Village Milghan till the Eastern junction point of Village Milghan and Village Lidhora.
- 3. South From the Eastern junction point of Village Milghan and Village Lidhora going through the Eastern-Southern boundaries of Village Lidhora to the Southern boundary of Village Sarwa to the Southern-Western boundaries of Village Samchauli to the Western boundary of Village Sarwa to the Southern boundary of Village Shinghpur to the Southern boundary of Village Jawal to the Southern boundary of Village Deora to the Southern boundary of Village Khedi Raimal to the Southern-Western boundaries of Village Sekra till the Western junction point of Village Sekra and Village Sirsa.
- 4. West From the Western junction point of Village Sekra and Village Sirsa going through the Western boundary of Village Sirsa to the Western boundary of Village Sirol to the Western boundary of Village Chimmak to the Western boundary of Village Thethiyapura to the Northern boundary of Village Choti Akbai to the Western boundary of Village Chomo till the Western junction point of Village Chomo and Village Rampura.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Chhimak cluster has been chosen as a non-tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 30 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to non-tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Chhimak cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Chhimak cluster of Gwalior district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत झाबुआ जिले के मेघनगर जनपद के गुवाली संकुल की 05 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार गुवाली संकुल के 05 ग्राम पंचायतो के 40.86 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – झाबुआ जनपद – मेघनगर संकूल – गुवाली

क्षेत्रफल - 40.86 वर्ग कि.मी. (4086 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1		गुवाली	गुवाली	14.65
2		पतरा	पतरा	2.94
3			देमारा	3.17
4	गुवाली संकुल,	सातसेरा	सातसेरा	2.83
5	मेघनगर जनपद	रामपुरा	रामपुरा	6.39
6		कचलदरा	कचलदरा	7.26
7	-		खटामा	2.36
8	-		तितरिया	1.26
	कुल योग	05	08	40.86

गुवाली निवेश क्षेत्र 1 की सीमाओं का विवरण

1. उत्तर – ग्राम गुवाली एवं ग्राम पतरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम पतरा की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम रामपुरा की पश्चिमी—उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रामपुरा एवं ग्राम कचलदरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

2. पूर्व - ग्राम रामपुरा एवं ग्राम कचलदरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कचलदरा की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कचलदरा एवं ग्राम रामपुरा की दक्षिणी सीमा के मिलान

बिन्दू तक।

3. दक्षिण — ग्राम कचलदरा एवं ग्राम रामपुरा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम रामपुरा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम पतरा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम देमारा की पूर्वी—दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम देमारा एवं ग्राम गुवाली की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

4. पश्चिम — ग्राम देमारा एवं ग्राम गुवाली की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम गुवाली की दक्षिणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए होते हुए ग्राम गुवाली एवं ग्राम पतरा की पश्चिमी

सीमा के मिलान बिन्दु तक।

गुवाली निवेश क्षेत्र 2 की सीमाओं का विवरण

1. उत्तर – ग्राम तितरिया एवं ग्राम कचलदरा के दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कचलदरा की दक्षिणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कचलदरा एवं ग्राम तितरिया की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

2. पूर्व — ग्राम कचलदरा एवं ग्राम तितरिया की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम तितरिया की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम तितरिया एवं ग्राम खटामा की पूर्वी सीमा के मिलान

ाबन्दु तक।

3. दक्षिण — ग्राम तितरिया एवं ग्राम खटामा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम खटामा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खटामा एवं ग्राम कचलदरा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

4. पश्चिम — ग्राम खटामा एवं ग्राम कचलदरा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम कचलदरा की दक्षिणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कचलदरा एवं ग्राम खटामा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

गुवाली निवेश क्षेत्र 3 की सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम सातसेरा की उत्तरी सीमा।
- पूर्व ग्राम सातसेरा की पूर्वी सीमा।
- 3. दक्षिण ग्राम सातसेरा की दक्षिणी सीमा।
- 4. पश्चिम ग्राम सातसेरा की पश्चिमी सीमा।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) गुवाली संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन निश्चन के उट्टत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 'प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना गुवाली संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

र (यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, झाबुआ जिले के गुवाली संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7–छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Guwali cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Meghnagar Block of Jhabua district, consisiting of 05 Gram Panchayat covering an area of 40.86 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District: Jhabua Janpad: Meghnagar Cluster: Guwali

Area: 40.86 Sq. Km (4086 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Guwali	Guwali	14.65
2		D	Patra	2.94
3		Patra	Demara	3.17
4	Guwali Cluster,	Satsera	Satsera	2.83
5	Meghnagar Janpad	Rampura	Rampura	6.39
6		Kachaldara	Kachaldara	7.26
7			Khatama	2.56
8			Titariya	1.26
-	Total	5	8	40.86

Description of the Guwali Planning Area 1 Boundaries

- 1. North From the Western junction point of Village Guwali and Village Patra going through the Northern boundary of Village Patra to the Western-Northern-Eastern boundaries of Village Rampura till the Western junction point of Village Rampura and Village Kachaldara.
- 2. East From the Western junction point of Village Rampura and Village Kachaldara going through the Northern-Eastern boundaries of Village Kachaldara till the Southern junction point of Village Kachaldara and Village Rampura.
- 3. South From the Southern junction point of Village Kachaldara and Village Rampura going through the Southern boundary of Village Rampura to the Southern boundary of Village Patra to the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Demara till the Western junction point of Village Demara and Village Guwali.

4. West – From the Western junction point of Village Demara and Village Guwali going through the Western-Northern boundaries of Village Guwali till the Western junction point of Village Guwali and Village Patra.

Description of the Mohankot Planning Area 2 Boundaries

- 1. North From the Southern junction point of Village Titariya and Village Kachaldara going through the Southern-Western-Northern boundaries of Village Kachaldara till the Northern junction point of Village Kachaldara and Village Titariya.
- 2. East From the Northern junction point of Village Kachaldara and Village Titariya going through the Northern-Eastern boundaries of Village Titariya till the Eastern junction point of Village Titariya and Village Khatama.
- 3. South From the Eastern junction point of Village Titariya and Village Khatama going through the Southern boundary of Village Khatama till the Eastern junction point of Village Khatama and Village Kachaldara.
- 4. West From the Eastern junction point of Village Khatama and Village Kachaldara going through the Southern-Western-Northern boundaries of Village Kachaldara till the Eastern junction point of Village Kachaldara and Village Khatama.

Description of the Guwali Planning Area 3 Boundaries

- 1. North Northern boundary of Village Satsera.
- 2. East Eastern boundary of Village Satsera.
- 3. South Southern boundary of Village Satsera.
- 4. West Western boundary of Village Satsera.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Guwali cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Guwali cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Guwali cluster of Jhabua district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 ∕ बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत झाबुआ जिले के पेटलावाद जनपद के मोहनकोट संकुल की 09 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मोहनकोट संकुल के 09 ग्राम पंचायतो के 77.42 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – झाबुआ जनपद – पेटलावाद संकुल – मोहनकोट

क्षेत्रफल - 77.42 वर्ग कि.मी. (7742 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	· .	मोहनकोट	मोहनकोट	16.32
2		झावलिया	झावलिया	5.24
3		•	रल्यावन	4.36
4		पारेवा	पारेवा	4.38
5		गोपालपुरा	गोपालपुरा	3.23
6		रताम्बा	रताम्बा	5.58
7	मोहनकोट		मथुरिया	1.04
8	संकुल,	कुडवास	कुडवास	3.54
9	पेटलावाद जनपद		धनपुरा	4.24
10	J OHAG		सोयला	\$ 13
11	-{ - - -	बैडदा	बैडदा	5.72
12			चारणपुरा	3.23
13	+	मोहकमपुरा	मोहकमपुरा	7.95
14			चन्द्रगढ़	3.65
15	 	अलस्याखेड़ी	अलस्याखेड़ी	5.81
	कुल योग	9	15	77.42

मोहनकोट निवेश क्षेत्र 1 की सीमाओं का विवरण

1. उत्तर – ग्राम बैडदा एवं ग्राम गोपालपुरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम गोपालपुरा की पश्चिमी—उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम चारणपुरा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम झावलिया की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रल्यावन की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम नोहनकोट की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रताम्बा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम सोयला की पश्चिमी

- सीमा होते हुए ग्राम धनपुरा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम कुडवास की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कुडवास एवं ग्राम अलस्याखेड़ी की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 2. पूर्व ग्राम कुडवास एवं ग्राम अलस्याखेड़ी की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम अलस्याखेड़ी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम मथुरिया की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रताम्बा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम रताम्बा एवं ग्राम मोहनकोट की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 3. दक्षिण ग्राम रताम्बा एवं ग्राम मोहनकोट की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम मोहनकोट की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम पारेवा की पूर्वी—दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम पारेवा एवं ग्राम मोहनकोट की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम पारेवा एवं ग्राम मोहनकोट क्री पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम मोहनकोट की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम झावलिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम बैडदा की दक्षिणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम बैडदा एवं ग्राम गोपालपुरा की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

मोहनकोट निवेश क्षेत्र 2 की सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम चन्द्रगढ़ की उत्तरी सीमा।
- 2. पूर्व ग्राम चन्द्रगढ़ की पूर्वी सीमा।
- 3. दक्षिण ग्राम चन्द्रगढ़ की दक्षिणी सीमा।
- 4. **पश्चिम** ग्राम चन्द्रगढ की पश्चिमी सीमा।

मोहनकोट निवेश क्षेत्र 3 की सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम मोहकमपुरा की उत्तरी सीमा।
- 2. पूर्व ग्राम मोहकमपुरा की पूर्वी सीमा।
- 3. दक्षिण ग्राम मोहकमपुरा की दक्षिणी सीमा।
- पश्चिम ग्राम मोहकमपुरा की पश्चिमी सीमा।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र प्रनान की संसाधनीएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास के मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलों को नैगार किया जावेगा।
- (ब) मोहनकोट संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना मोहनकोट संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, झाबुआ जिले के मोहनकोट संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

. . . .

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Mohankot cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Petlawad Block of Jhabua district, consisiting of 09 Gram Panchayat covering an area of 77.42 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District: Jhabua Janpad: Petlawad Cluster: Mohankot

Area: 77.42 Sq. Km (7742 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	. \	Mohankot	Mohankot	16.32
2		TL1: _	Jhawalia	5.24
3		Jhawalia	Ralyawan	4.36
4		Parewa	Parewa	4.38
5		Gopalpura	Gopalpura	3.23
6		Ratamba	Ratamba	5.58
7			Mathuria	1.04
8	Mohankot Cluster,	Kudwas	Kudwas	3.54
9	Petlawad Janpad		Dhanpura	4.24
10			Soila	3.13
11		Bedada	Bedada	5.72
12		Dedada	Charanpura	3.23
13		Mohkampura	Mohkampura	7.95
14	•	Monkampura	Chandragarh	3.65
15		Alasya Khedi	Alasya Khedi	5.81
	Total	9	15	77.42

Description of the Mohankot Planning Area 1 Boundaries

1. North – From the Western junction point of Village Bedada and Village Gopalpura going through the Western-Northern-Eastern boundaries of Village Gopalpura to the Eastern boundary of Village Charanpura to the Eastern boundary of Village Charanpura to the Eastern boundary of Village Ralyawan to the Eastern boundary of Village Mohankot to the Western boundary of Village Ratamba to the Western boundary of Village Soila to the

Western boundary of Village Dhanpura to the Western- Northern boundaries of Village Kudwas till the Northern junction point of Village Kudwas and Village Alasya Khedi.

- 2. East From the Northern junction point of Village Kudwas and Village Alasya Khedi going through the Eastern boundary of Village Alasya Khedi to the Eastern boundary of Village Mathuria to the Eastern boundary of Village Ratamba till the Southern junction point of Village Ratamba and Village Mohankot.
- 3. South From the Southern junction point of Village Ratamba and Village Mohankot going through the Southern boundary of Village Mohankot to the Eastern-Southern-Western boundaries of Village Parewa till the Southern junction point of Village Parewa and Village Mohankot.
- 4. West From the Western junction point of Village Parewa and Village Mohankot going through the Western boundary of Village Mohankot to the Southern boundary of Village Jhawalia to the Southern-Western-Northern boundaries of Village Bedada till the Western junction point of Village Bedada and Village Gopalpura.

Description of the Mohankot Planning Area 2 Boundaries

- 1. North Northern boundary of Village Chandragarh.
- **2. East** Eastern boundary of Village Chandragarh.
- 3. South Southern boundary of Village Chandragarh.
- **4. West** Western boundary of Village Chandragarh.

Description of the Mohankot Planning Area 3 Boundaries

- 1. North Northern boundary of Village Mohkampura.
- **2. East** Eastern boundary of Village Mohkampura.
- 3. South Southern boundary of Village Mohkampura.
- **4. West** Western boundary of Village Mohkampura.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.

Mohankot cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Mohankot cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Mohankot cluster of Jhabua district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत धार जिले के धार जनपद के गुणावद संकुल की 14 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार गुणावद संकुल के 14 ग्राम पंचायतो के 153.25 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – धार जनपद – धार संकुल – गुणावद क्षेत्रफल – 153.25 वर्ग कि.मी. (15325 हेक्टेयर)

कं.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1		बग्गड़	बग्गड़	7.61
2		बनेड़िया	बनेड़िया	5.39
3			करंजवा	7.72
4		बायखेड़ा	बायखेड़ा	6.52
5			खामला	2.70
6		दंगोठा	दंगोठा	2 on '
7		पंगाण	सुखंड़ा	3.79
8		.1111112122	गुणावद	11.33
9		गुणावद	मिर्जापुर	4.99
10	गुणावद संकुल, धार जनपद	zı	जामन्दा	6.21
11	GIC OF MA	जामन्दा	दौलतपुर	2.35
12		कलमखेड़ी	कलमखेड़ी	4.03
13		प्रशासका	उत्तरसी	5.06

	Į.			1
14		कलसाड़ा खुर्द	कलसाड़ा खुर्द	9.31
15	·		कोटभिड़ोता	4.38
16		कोटभिडोता	कड़ोलाबुजुर्ग	2.66
17		काटामङ्गता	छाड़ोदा	2.29
18			कुन्दरसी	1.02
19			हाप्सीखेड़ी	1.23

	कुल	14	28	153.25
28	,	उटावद	उटावद	27.42
27	·		मेंहदीखेड़ी	2.08
26		।सरसादा	नियामतखेड़ी	1.72
25		सिरसौदा	कड़ोला खुर्द	3.60
24			सिरसौदा	6.79
23		पिपल्दा	पिपल्दा	7.17
22		नेकपुर	अहीरखेड़ी	1.87
21		1	नेकपुर	5.00
20		लेबड़	लेबड़	5.51

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

1. उत्तर — ग्राम कोटिमिड़ोता एवं ग्राम बग्गड़ की सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बग्गड़ की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम सुखेड़ा की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम नेकपुर की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम दंगोठा की उत्तरी—पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम अहीरखेड़ी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम अहीरखेड़ी एवं ग्राम लेबड़ की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्द तक।

2. पूर्व — ग्राम अहीरखेड़ी एवं ग्राम लेबड़ की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम लेबड़ की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम कलसाड़ा खुर्द की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम गुणावद की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम मिर्जापुर की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम करंजवा

एवं ग्राम बनेडिया की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दू तक।

3. दक्षिण — ग्राम करंजवा एवं ग्राम बनेड़िया की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बनेड़िया की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम बायखेड़ा की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम कलमखेड़ी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम उत्तरसी की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम उत्तरसी एवं ग्राम उटावद की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

4. पश्चिम — ग्राम उत्तरसी एवं ग्राम उटावद की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम उटावद की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम वौलतपुर की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम वौलतपुर की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम कड़ोला खुर्द की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम कड़ोलाबुजुर्ग की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम काटभिड़ोता की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कोटभिड़ोता की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम कोटभिड़ोता एवं ग्राम बग्गड़ की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:—

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।
- (ब) गुणावद संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30
 - प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना गुणावद संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, धार जिले के गुणावद संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Gunawad cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Dhar Block of Dhar district, consisiting of 14 Gram Panchayat covering an area of 153.25 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District: Dhar Janpad: Dhar

Gunawad

Cluster: Area:

153.25 Sq. Km (15325 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Baggad	Baggad	7.61
2		D 1'	Banediya	5.39
- 3		Banediya	Karanjwa	7.72
4		Baykheda	Baykheda	6.52
5			Khamla	2.70
6		Dangotha	Dangotha	2.90
7	-		Sukheda	3.79
8		Gunawad	Gunawad	11.93
9			Mirjapur	4.99
10		Jamanda	Jamanda	6.21
11			Daulatpur	2.35
12	Gunawad Cluster,	Kalamkhedi	Kalamkhedi	4.03
13	Dhar Janpad		Utarsi	5.06
· 14		Kalsada Khurd	Kalsada Khurd	9.31
15		Kotbhidota	Kotbhidota	4.38
16			Kadola Bujurg	2.66
17			Chhadoda	2.290
18			Kundarsi	1.02
19			Hapsi Khedi	1.23
20		Lebad	Lebad	5.51
21		Nekpur	Nekpur	5.00
22			Ahirkhedi	1.87
23		Pipalda	Pipalda	7.17
24		Sirsoda	Sirsoda	6.79
25			Kadola Khurd	3.60
26			Niyamat Khedi	1.72
27			Menhadi Khedi	2.08
28		Utawad	Utawad	27.42
	Total	14	28	153.25

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the junction point of Village Kotbhidota and Village Baggad going through the Western-Northern boundaries of Village Baggad to the Northern boundary of Village Sukheda to the Northern-Eastern boundaries of Village Nekpur to the Northern-Eastern-Southern boundaries of Village Dangotha to the Southern boundary of Village Ahirkhedi till the Eastern junction point of Village Ahirkhedi and Village Lebad.
- 2. East From the Eastern junction point of Village Ahirkhedi and Village Lebad going through the Eastern boundary of Village Lebad to the Eastern boundary of Village Kalsada Khurd to the Eastern boundary of Village Gunawad to the Eastern boundary of Village Mirjapur to the Eastern boundary of Village Karanjwa till the Eastern junction point of Village Karanjwa and Village Banediya.
- 3. South From the Eastern junction point of Village Karanjwa and Village Banediya going through the Eastern-Southern boundaries of Village Baykheda to the Southern boundary of Village Kalamkhedi to the Souther-Western boundary of Village Utarsi till the Western junction point of Village Utarsi and Village Utawad.
- 4. West From the Western junction point of Village Utarsi and Village Utawad going through the Western boundary of Village Utawad to the Western boundary of Village Jamanda to the Western boundary of Village Daulatpur to the Western boundary of Village Kadola Khurd to the Western boundary of Village Kadola Bujurg to the Western-Northern boundaries of Village Hapsi Khedi to the Western-Northern boundaries of Village Kotbhitoda till the Northern junction point of Village Kotbhitoda and Village Baggad.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Gunawad cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Gunawad cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Gunawad cluster of Dhar district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत खण्डवा जिले के पंधाना जनपद के आरूद संकुल की 06 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार आरूद संकुल के 06 ग्राम पंचायतो के 75.37 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – खण्डवा जनपद – पंधाना संकुल – आरूद

क्षेत्रफल - 75.37 वर्ग कि.मी. (7537 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1		आरूद	आरूद	11.85
2		मोहनपुर	मोहनपुर	8.88
3		बाबली	बाबली	11.31
4	आरूद संकुल,	राजपुरा	राजपुरा	4.21
5	पंधाना जनपद		बड़ौदा अहीर	3.65
5	ļ	अंजनगांव	अंजनगांव	14.68
7			हिरापुर खुर्द	7.14
3	[खेडीतपेघाटी	केंडीनऐपाटी	15.65
	कुल योग	6	8	75.37

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

1. उत्तर — ग्राम बड़ौदा अहीर एवं ग्राम मोहनपुर की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम मोहनपुर की पश्चिमी—उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम बाबली की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम बाबली एवं ग्राम आरूद की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

2. पूर्व — ग्राम बाबली एवं ग्राम आरूद की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम आरूद की उत्तरी—पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम हिरापुर खुर्द की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम हिरापुर खुर्द एवं ग्राम अंजनगांव की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

3. दक्षिण — ग्राम हिरापुर खुर्द एवं ग्राम अंजनगांव की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम अंजनगांव की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खेडीतपेघाटी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खेडीतपेघाटी एवं ग्राम राजपुरा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

4. पश्चिम — ग्राम खेडीतपेघाटी एवं ग्राम राजपुरा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम राजपुरा ग्राम की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बड़ौदा अहीर की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम बड़ौदा अहीर एवं ग्राम मोहनपुर की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) आरूद संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना आरूद संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कायान्ययन की रूपरेखा के अनुसार, खंडवा जिले के आरूद संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7–छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Arud cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Pandhana Block of Khandwa district, consisiting of 06 Gram Panchayat covering an area of 75.37 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Khandwa

Janpad:

Pandhana

Cluster:

Arud

Area:

75.37 Sq. Km (7537 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1	Arud Cluster, Pandhana Janpad	Arud	Arud	11.85
2		Mohanpur	Mohanpur	8.88
3		Babli	Babli	11.31
4		Rajpura	Rajpura	4.21
5			Badoda Aheer	3.65
6		Anjangaon	Anjangaon	(4),5\$°
7			Heerapur Khurd	7.14
8		Kheditape Ghati	Kheditane Ghati	13.65
	Total	06	08	75.37

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the Northern junction point of Village Badoda Aheer and Village Mohanpur, going through the Western- Northern- Eastern boundaries of Village Mohanpur to the Northern boundary of Village Babli till the Northern junction point of Village Babli and Village Arud.
- 2. East From the Northern junction point of Village Babli and Village Arud going through the Northern-Eastern boundary of Village Arud to the Eastern-Southern boundary of Village Heerapur Khurd till the Southern junction point of Village Heerapur Khurd and Village Anjangaon.
- 3. South From the Southern junction point of Village Heerapur Khurd and Village Anjangaon going through the Southern boundary of Village Anjangaon to the Southern

boundary of Village Kheditape Ghati till the Southern junction point of Village Kheditape Ghati and Village Rajpura.

4. West – From the Southern junction point of Village Kheditape Ghati Village Rajpura going through the Southern-Western boundary of Village Rajpura to the Western boundary of Village Badoda Aheer till the Northern junction point of Village Badoda Aheer and Village Mohanpur.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Arud cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Arud cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Arud cluster of Khandwa district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत अनुपपुर जिले के पुष्पराजगढ जनपद के किर्गी संकुल की 09 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार किर्गी संकुल के 09 ग्राम पंचायतो के 86.60 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – अनुपपुर जनपद – पुष्पराजगढ संकूल – किर्गी

क्षेत्रफल - 86.60 वर्ग कि.मी. (8660 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल
	पंचायत का नाम		:	(वर्ग कि.मी.)
1		किर्गी	किर्गी	2.28
2		कोहका	कोहका	6.08
3		धरहरकला	धरहरकलां	7.78
4			धरहरखुर्द	2.19
5		बसनिहा	बसनिहा	8.18
6		धीरूटोला	धीरूटोला	2.63
7	6-4 -i		बेल्हा	· 16
8	किर्गी संकुल,		गोगा	3.06
9	पुष्पराजगढ़ जनपद	शिवरीचंदास	शिवरीचंदास	3 09
10			डोडिया	2.71
11		हर्राटोला	हर्राटोला	4.58
12			सोनियामार	4.42
13	,	लखौरा	लखौरा	5.39
14		जीलंग	जीलंग	15.80
15			नंदपुर	5.18
16			छपानी	11.17
	कुल योग	9	16	86.60

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

1. उत्तर – ग्राम सोनियामार एवं ग्राम डोडिया की सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम डोडिया की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम शिवरीचंदास की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम शिवरीचंदास एवं ग्राम किर्गी की उत्तरी—पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।

- 2. पूर्व ग्राम शिवरीचंदास एवं ग्राम किर्गी की उत्तरी—पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम किर्गी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम बसनिहा की पूर्वी सीमा, ग्राम धरहरखुर्द की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम धरहरकलां की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम धरहरकलां एवं ग्राम छपानी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 3. दक्षिण ग्राम धरहरकलां एवं ग्राम छपानी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम छपानी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम जीलंग की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम नंदपुर की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम लखौरा की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम लखौरा एवं ग्राम गोगा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम लखौरा एवं ग्राम गोगा की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम गोगा की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम बेल्हा की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम हर्राटोला की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम सोनियामार की दक्षिणी—पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम सोनियामार एवं ग्राम डोडिया की सीमा के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:--

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलों को तैयार किया जावेगा।
- (ब) किर्गी संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना किर्गी संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, अनुपपुर जिले के किगी संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Kirgi cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Pushparajgarh Block of Anuppur district, consisiting of 09 Gram Panchayat covering an area of 86.60 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Anuppur

Janpad:

Pushparajgarh

Cluster:

Kirgi

Area:

86.60 Sq. Km (8660 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Kirgi	Kirgi	2.28
2		Kohka	Kohka	6.08
3		Dharharkalan	Dharhar Kalan	7.78
4			Dharhar Khurd	2.19
5		Basaniha	Basaniha	8.18
6		Dhirutola	Dhirutola	2.63
7			Belha	2.00
8	Kirgi Cluster,		Goga	3.06
9	Pushparajgarh	Sheorichandas	Sheorichandas	3.09
10	Janpad		Dodiya	2.71
11		Harratola	Harratola	4.58
12			Soniyamar	4.42
13	,	Lakhaura	Lakhaura	5.39
14		Jilang	Jilang	15.8
15			Nandpur	5.18
16			Chhapani	11.17
,	Total	9	16	86.60

Description of the Planning Area Boundaries

1. North – From the junction point of Village Soniyamar and Village Dodiya going through the Northern boundary of Village Dodiya to the Northern boundary of Village Sheorichandas till the Northern-Eastern junction point of Village Sheorichandas and Village Kirgi.

- 2. East From the Northern-Eastern junction point of Village Sheorichandas and Village Kirgi going through the Eastern boundary of Village Kirgi to the Eastern boundary of Village Basaniha to the Eastern boundary of Village Dharhar Khurd to the Eastern-Southern boundaries of Village Dharhar Kalan till the Southern junction point of Village Dharhar Lalan and Village Chhapani.
- 3. South From the Southern junction point of Village Dharhar Kalan and Village Chhapani going through the Southern boundary of Village Chhapani to the Southern-Western boundaries of Village Jilang to the Western boundary of Village Nandpur to the Western boundary of Village Lakhaura till the Southern junction point of Village Lakhaura and Village Goga.
- 4. West From the Southern junction point of Village Lakhaura and Village Goga going through the Western-Northern boundaries of Village Goga to the Northern boundary of Village Belha to the Western boundary of Village Harratola to the Southern-Western-Northern boundaries of Village Soniyamar till the junction point of Village Soniyamar and Village Dodiya.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Kirgi cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30° or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Kirgi cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 16 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Kirgi cluster of Anuppur district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

क्र. एफ-2-1-2021 / बाईस-P-1.-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर जनपद के इन्दरसिंह की चौकी संकुल की 07 ग्राम पंचायतो को चिन्हांकित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की 51 एवं 7-छक के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार इन्दरसिंह की चौकी संकुल के 07 ग्राम पंचायतो के 76.97 वर्ग कि.मी. राजस्व को निवेश क्षेत्र हेतु अधिसूचित किया जाता है। संकुल की ग्राम पंचायत एवं ग्रामवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

जिला – अलीराजपुर जनपद – अलीराजपुर

संकुल - इन्दरसिंह की चौकी

क्षेत्रफल - 76.97 वर्ग कि.मी. (7697 हेक्टेयर)

क्र.	संकुल, जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के नाम	क्षेत्र फल (वर्ग कि.मी.)
1	इन्दरसिंह की	इन्दरसिंह की चौकी	इन्दरसिंह की चौकी	15.39
.2		रामसिंह की चौकी	रामसिंह की चौकी	6.60
3			बिलवट	5.34
4		बडा उंडवा	बडा उंडवा	10.41
5		चिचलगुड़ा	चिचलगुड़ा	4.80
6	चौकी संकुल, अलीराजपुर		दीपा की चौकी	4.65
7	जनपद ।		थानासमली	3.61
_ 8		भयड़िया की चौकी	भयड़िया की चौकी	6.47
9			डोबलाझिरी	5.68
10		खरखड़ी	खरखड़ी	7.59
11		बंद	बंद	6.43
	कुल योग	7	11	78.97

निवेश क्षेत्र सीमाओं का विवरण

- 1. उत्तर ग्राम डोबलाझिरी एवं ग्राम बंद की उत्तरी सीमाओं के मिलान बिन्दु से ग्राम बंद की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम खरखड़ी की उत्तरी-पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम खरखड़ी एवं ग्राम बडा उंडवा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 2. पूर्व ग्राम खरखड़ी एवं ग्राम बडा उंडवा की पूर्वी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम बडा उंडवा की पूर्वी—दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम बडा उंडवा एवं ग्राम रामसिंह की चौकी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 3. दक्षिण ग्राम बडा उंडवा एवं ग्राम रामिसंह की चौकी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु स् ग्राम रामिसंह की चौकी की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम इन्दरसिंह की चौकी की पूर्वी सीमा

- होते हुए ग्राम दीपा की चौकी की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम चिचलगुड़ा की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम थानासेमली पूर्वी—दक्षिणी—पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम चिचलगुड़ा की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम चिचलगुड़ा एवं ग्राम भयड़िया की चौकी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक।
- 4. पश्चिम ग्राम चिचलगुड़ा एवं ग्राम भयड़िया की चौकी की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु से ग्राम भयड़िया की चौकी की पश्चिमी—उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम इन्दरसिंह की चौकी की पश्चिमी सीमा होते हुए ग्राम डोबलाझिरी की दक्षिणी—पश्चिमी होते हुए ग्राम डोबलाझिरी एवं ग्राम बंद की उत्तरी सीमाओं के मिलान बिन्दु तक।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृत उक्त निवेश क्षेत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:—

- (अ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत ऐसे ग्रामीण संकुल तैयार करना है जिनसे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनो से विकास केंद्र बनाने की संभावनाएं हो। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के समूहो में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल स्थानिक उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अधोसंरचना संबंधी सुविधाए उपलब्ध कराके इन संकुलो को तैयार किया जावेगा।
- (ब) इन्दरसिंह की चौकी संकुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत जनजातीय संकुल के रूप में चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार संकुल की कार्ययोजना का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ (अधिकतम) जनजातीय क्षेत्र को पूरक वित्तपोषण राशि (क्रिटिकल गैप फंड) प्रावधानित की गयी है जिसकी एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना इन्दरसिंह की चौकी संकुल के विकास के लिए तैयार की गयी है। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में विकास कार्य रूर्बन मिशन के 16 वांछनीय घटकों के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

व्याख्यात्मक टीप

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपने सामान्य उद्देश्य को इंगित करना है)।

भारत सरकार द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRuM) के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार, अलीराजपुर जिले के इन्दरसिंह की चौकी संकुल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 51 एवं 7-छक के तहत निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए सरकार ने उपयुक्त संकुल को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिससे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

F-2-1-2021-XXII-P-1.-

WHEREAS, the Ministry of Rural Development, Government of India as per D.O. letter No. J-12011/01/2016-RURBAN(pt.1) dated 14th August 2018, have identified Indarsing Ki Choki cluster of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission in Alirajpur Block of Alirajpur district, consisiting of 07 Gram Panchayat covering an area of 76.97 Sq. Km revenue land as a planning area as per the rights conferred under Section 51 and 7-GA of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. The details of Gram Panchayat and village-wise area of the identified cluster are as follow:

District:

Alirajpur

Janpad:

Alirajpur

Cluster:

Indarsing Ki Choki

Area:

76.97 Sq. Km (7697 Hectare)

S.No.	Name of Cluster and Janpad Panchayat	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (Sq. Km)
1		Indarsing Ki Choki	Indarsing Ki Choki	15.39
2		Ramsing Ki	Ramsing Ki Choki	6.60
3		Choki	Bilwat	5.34
4	Indarsing Ki Choki	Bada Undwa	Bada Undwa	10.41
5	Cluster, Alirajpur Janpad	Chichalguda	Unichalguda	4.80
6			Dipa Ki Choki	4.55
7			Thanasemli	3.61
8		Bhaidiya Ki	Bhaidiya Ki Choki	6.47
9		Choki	Doblajhiri	5.68
10	•	Kharkhari	Kharkhari	7.69
11		Band	Band	6.43
	Total	7	11	76.97

Description of the Planning Area Boundaries

- 1. North From the Northern junction point of Village Doblajhiri and Village Band going through the Northern boundary of Village Band to the Northern-Eastern boundaries of Village Kharkhari till the Eastern junction point of Village Kharkhari and Village Bada Undwa.
- 2. East From the Eastern junction point of Village Kharkhari and Village Bada Undwa going through the Eastern-Southern boundaries of Village Bada Undwa till the Southern junction point of Village Bada Undwa and Village Ramsingh Ki Chowki.

- 3. South From the Southern junction point of Village Bada Undwa and Village Ramsing Ki Choki going through the Southern boundary of Village Ramsing Ki Choki to the Eastern boundary of Village Indarsing Ki Choki to the Eastern boundary of Village Dipa Ki Chowki to the Eastern boundary of Village Chichalguda to the Eastern-Southern-Western boundaries of the Village Thanasemli to the Southern boundary of Village Chichalguda till the Southern junction point of Village Chichalguda and Village Bhaidiya Ki Choki.
- 4. West From the Southern junction point of Village Chichalguda and Village Bhaidiya Ki Choki going through the Western-Northern boundaries of Village Bhaidiya Ki Choki to the Western boundary of Village Indarsing Ki Choki to the Western-Northern boundaries of Village Doblajhiri till the Northern junction point of Village Doblajhiri and Village Band.

As approved by the Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi the following provisions are made in the planning area of the said cluster:—

- 1. The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new scheme named Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), in a bid to transform rural areas to make them economically, socially and physically sustainable spaces. The mission aims to develop growth clusters in rural areas which have latent potential for growth. This in turn would trigger development all over the region. These clusters would be developed by provisioning of Economic activities and development of cluster as growth centers.
- 2. Indarsing Ki Choki cluster has been chosen as a tribal cluster under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission. According to the Guideline of Government of India, 30% or 15 Crore (maximum) fund of the cluster work plan is to be given to tribal cluster as Critical Gap Fund (CGF). Its integrated Cluster Action Plan is prepared for the development of Indarsing Ki Choki cluster. In Integrated Cluster Action Plan, Development work is included according to desirable 14 components.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purpose). As per the framework of the implementation of the Shyama Prasad Mukherjee National Rurban Mission (NRuM), issued by the Government of India, the Indarsing Ki Choki cluster of Alirajpur district has to be declared as planning area under the Section 51 and 7-GA of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993, for the purpose of the said cluster. Hence, the government has decided to notify the above-mentioned cluster as a planning area in order to achieve the objectives of Mission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,